"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 976] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2025 — पौष 1, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS-904/6/2025.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को नगर पालिका राजिम, जिला–गरियाबंद गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता हैः–

अनुसूची –1

प्रस्तावित नगर पालिका राजिम की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः–

स. क.	नगर पालिका राजिम में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण	जनसंख्या (वर्ष 2011)
1	नगर पंचायत राजिम	14090

अनुसूची –2

राजिम नगर पालिका की सीमाएं निम्नानुसार होंगीः–

नगर पंचायत राजिम की सीमाएं ही नगर पालिका राजिम की सीमा होंगी।

उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित में कलेक्टर–गरियाबंद को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर राज्य शासन के विनिश्चय हेतु प्रस्तुत कर सकते है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

क्रमांक GENS-904/6/2025.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22–12–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 22nd December 2025

NOTIFICATION

No. GENS-904/6/2025.— In exercise of the powers conferred by section 5(1)(A) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to constitute Municipal Council Rajim, Dist-Gariyaband as per schedule given below :-

SCHEDULE-1

The particulars of areas of Municipal Council Rajim is as under:-

S.No.	Proposed areas to be included in Municipal Council Rajim	population (Year 2011)
1	Nagar Panchayat Rajim	14090

SCHEDULE-2

The Revised boundary of Municipal Council Rajim is as under:-

The boundaries of Nagar Panchayat Rajim shall be the boundaries of Municipal Council Rajim.

Any person or any local authority may submit his Suggestion/objection in writing to the Collector, District- Gariyaband on any official day and time within 21 days from the date of Publication in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGWAT JAISWAL, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.